सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand
e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK17889895962891T
Certificate Issued Date	:	10-Mar-2021 12:32 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1204004/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK12040043938818694472 2T
Purchased by	:	Pinki Rani
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	-
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	Pinki Rani
Second Party	:	na
Stamp Duty Paid By	:	Pinki Rani
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

विक्रम जायसवाल
स्टाम्प विक्रेता ल०नं०-152/12
तहसील हरिद्वार

NOTARY ★ GOVT. OF UTTARAKHAND ★
P.K. SHARMA SPECIAL ADVOCATE H.O. HARIDWAR NO.-64... NOTARIAL

Please write or type below this line

1800
10/3/21

Pinki Rani w/o Kaviraj Singh Pinki
MIG 348 Vivek Vihar Colony
Ranipur more Haridwar

Pinki

Mantri/ Manager
Spring Field School
Bahadrabad, Haridwar (U.K.)

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

1. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ऐसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो, द्वारा समय समय पर माँगे जाने वाले पर्तिवेदन, जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डायस) मै सूचनाओ को भरकर उपलब्ध करायेगा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम मे प्रावधानों के किर्यान्यन से सम्बंधित आवश्यक अभिलेख को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।
2. विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–23 में उल्लिलिखित प्रावधानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करेगा, ऐसे अध्यापक जो अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व से कार्यरत है और अधिनियम के अनुसार न्यूनतम योग्यता नही रखते है, उन्हें मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता अर्जित करा लेगा।
3. विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–19 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में निहित मानक एवं मानदण्डों को स्थापित रखेगा।
4. विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा तदन्तर्गत अधिसूचित उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के समस्त प्राविधनों का पालन करेगाः मुख्य रूप से विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–19 एवं 25 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में निहित मानक एवं मानदण्डों को स्थापित रखेगा।
5. विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय को छोडकर) अपने निकट (पडोस) के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा–1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाए संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों की सीमा तक प्रवेश देगा।
6. प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी को बच्चों से प्रभारित की जाने वाले शुल्क का विवरण उपलब्ध करायेंगे।
7. विद्यालय बच्चों से किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क प्रभारित नहीं करेंगें तथा बच्चों के प्रवेश के समय बच्चे अथवा उसके माता–पिता अथवा अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया नही अपनायेगें।
8. मै घोषणा करता हूँ कि विद्यालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के धारा–19 में उल्लिखित अनुसूची के निर्धारित मानक एवं मानदण्डों एवं धारा–25 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण कर लिया गया है।
9. मै शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे संज्ञान में सही है तथा यदि उक्त वर्णित तथ्यों में से कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो विभा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन नियमानुसार मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण कि कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

IDENTIFIED BY

ATTESTED
P.K. SINGHAL
NOTARY ADVOCATE
H.Q. HARIDWAR (U.K.)

Pinki

Pinki
Manager
... School
...hadrabad, Haridwar (U.K.)